न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक

कलक्टर सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पींठासीन अधिकारी :– अनिलकुमार जैन

प्रकरण सख्या:–09 / 10 निर्णय दिनांक:–11.02.2021

1 श्री सोमा पिता पुंजा डामोर जाति डामोर
2 श्री मंगला पिता पुंजा डामोर जाति डामोर
3 श्री लाला उर्फ लालसिंह पिता पुंजा डामोर जाति डामोर
4 श्री खोमा पिता पुंजा डामोर जाति डामोर
5 श्री अजुरा पिता पुंजा डामोर जाति डामोर निवासीयान लालपुरा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1 श्री लाला पिता हिरा डामोर
2 श्री सोमला पिता गेंदाल डामोर
3 श्री जयन्ति पिता गेंदाल डामोर
4 श्रीमती फुलडी पिता गेंदाल डामोर
5 श्री जगजी पिता गेंदाल डामोर
6 श्रीमती जाजी बेवा गेंदाल डामोर
7 श्री हुरमा पिता नाथा डामोर
8 श्री कला पिता पुंजा डामोर
9 श्री बालु पिता पुंजा डामोर
10 श्री अखमा पिता पुंजा डामोर
11 श्री सुजा पिता पुंजा डामोर
12 श्रीमती शांति बेवा पुंजा डामोर
13 श्रीमती नवल बेवा पुंजा डामोर
14 श्री रमेश पिता पुंजा डामोर
15 श्रीमती मणी पत्नि हिरा डामोर निवासीयान लालपुरा डुंका तहसिल सीमलवाडा जिला डुंगरपूर राज. ।
16 श्री मान भुमीधारी तहसीलदार साहब सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डुंगरपूर राजस्थान।

प्रतिवादी

वाद अर्न्तगत धारा 88 ,188 व 209 राज. काश्तकारी अधिनियम सपठीत धारा 136 भु राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता वादी:– बालगोविन्द पाटीदार उपस्थित

अधिवक्ता प्रतिवादी:– अल्लाहनुर मंसुरी

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही गांव के स्थायी निवासी है तथा वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी ग्राम डुंका मे खसरा नम्बर क्रमशः 2913 व 2914 रकबा क्रमशः 3.05 व 2.08 खेत किता 02 कुल रकबा 5.13 बिघा होकर स्थित है।

क्रमशः पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

जिस पर वादीगण का पारीवारीक बंटवारे के अनुसार काबीज है तथा उक्त आराजी पर वादी लाला व मंगला के मकानात बने हुये है उक्त ग्राम डुंका की आराजी सख्या 2913 व 2914 संवत 2002–11 की जमाबन्दी मे खसरा सख्या 2579, 2580 व 2581 होकर वादीगण के पुर्वज कदीम व पुर्वज कलजी के संयुक्त खाते मे दर्ज थी संवत 2014 मे खसरा नम्बर परिवर्तित हुये जिससे संवत 2002–11 की जमाबन्दी मे वादीगण के पुर्वज कदीम व पुर्वज कलजी के नाम दर्ज खसरा सख्या 2579, 2580 व 2581 के नये नम्बर 2913 व 2914 कायम हुए उक्त आराजी मे वादीगण जनवरी 2010 मे फसल की गुडाई कर रहे थे प्रतिवादीगण ने मौके पर विवाद कर उक्त आराजी अपनी होने की बात की तो वादीगण ने अपने कब्जे काश्त की उक्त आराजी के खाते की नकले निकलवायी तो जानकारी हुई की वाद ग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है जिस पर वादीगण ने अपने कब्जे काश्त की उक्त भुमी की पुरानी नकले निकलवायी तो पता चला संवत 2002–2011 मे वादीगण के पुर्वज व मुखी कलजी के नाम दर्ज। खसरा सख्या 2579, 2580 व 2581 के नये नम्बर 2913 व 2914 सेटलमेंट कर्मियो ने भुलवंश वादीगण के पिता पुंजा के नाम दर्ज नही कर प्रतिवादीगण के पुर्वज नाना के नाम दर्ज कर दी जबकि नियमानुसार वादग्रस्त आराजी को वादीगण के पिता पुंजा के नाम दर्ज करना था जिस पर वादीगण ने पटवारी से मिलकर वादग्रस्त आराजी वादीगण के नाम दर्ज करने को कहा लेकिन पटवारी ने मना कर दिया जिससे वादीगण को वाद प्रस्तूत करना आवश्यक हो गया जिससे म्याद अवधि मे वाद प्रस्तुत है ऐसे मे ग्राम डुंका की जमाबन्दी संवत 2063–66 के खाता सख्या 476 आराजी सख्या 2913 व 2914 को प्रतिवादीगण के खाते मे से हटाया जाकर वादी के नाम दर्ज कर वादीगण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे व प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे की वे वादीगण को उक्त आराजी मे काश्त करने मे रुकावट पैदा न तो स्वय करे न ही मित्र, एजेन्ट व मजदुरो से करावे वादीगण ने वाद प्रसुत कर उक्त दाद चाही है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलबी हेतु नोटिस जारी किए गए। प्रतिवादीगण ने मय अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर वाद को अस्वीकार कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कोई कब्जा नहीं है जबकि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की सिरकती आराजी है जिस पर प्रतिवादीगण अपने पितामह व पिता के काल से काबिज होकर काश्त कर रहे है वादीगण ने बेबुनियाद व गलत तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है क्योकि वादग्रस्त आराजी संवत 2019 में प्रतिवादीगण के पूर्वज नाना के नाम दर्ज थी जो वर्तमान में विरासती रूप से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है वादीगण ने अपने वाद में श्रीमति मणी व श्री रमेश को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि वह खातेदार काश्तकार है तथा उक्त आराजी के सीमाकंन हेतु प्रतिवादीगण ने श्री मान तहसीलदार साहब को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर 24.10.2009 को राजस्व अधिकारी द्वारा सीमाकंन किया था। ऐसे में वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

कमशः पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

वादी के वाद व जवाब दावे के अनुसार निम्न तनकियात कायम की गई–

1 आया वादीगण विवादित आराजी संख्या 2913, 2914 वाके ग्राम डूंका तहसील सीमलवाडा पर प्रतिवादीगण का नाम हटवाकर वादीगण का नाम दर्ज करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।

–जिम्मे वादीगण

2 आया वादीगण प्रतिवादीगण को विवादित आराजी खसरा नम्बर 2913, 2914 वाके डूंका में वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मनाहनत न करने स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है।

जिम्मे वादीगण

3 आया प्रतिवादीण विवादित आराजी नम्बर 2913, 2914 वाके डूंका ्तहसील सीमलवाडा के खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है इस बिनाय पर दावा वादीगण खारिज योग्य है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

4 आया वादीगण ने वादपत्र में हीरा की पत्नि मणी व श्रीमति नवल के पुत्र रमेश जो विवादित आराजी के खातेदार सिरकती है जिन्हे पक्षकार मुकदता नहीं बनाया है। इस बिनाय पर वाद वादीगण का खारिज योग्य है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

5 वादीगण का वाद म्याद अवधि के बाहर पेश हुआ है अतः दावा वादीगण का खारिज योग्य है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

6 अनुतोष

तनकियात कायम करने के बाद पत्रावली को वास्ते साक्ष्य नियत किया गया दौराने साक्ष्य वादीगण द्वारा 1 ऑडर रूल 10 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमति मणी व रमेश को पक्षकार बनाने हेतु निवेदन किया जिसकी प्रति वकील प्रतिवादीगण को दी गई जिन्होने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। उभय पक्ष की बहस सुनकर व पत्रावली का अवलोकन कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रमेश व मणी को पक्षकार बनाये जाने व संशोधित अनवान पेश करने और प्रतिवादीगण रमेश व मणी तलब करने का आदेश दिया गया। जरीये नोटीस प्रतिवादीगण रमेश व मणी को तलब किया गया प्रतिवादीगण रमेश व मणी मय अधिवक्ता उपस्थित हुए जिन्होने जवाब प्रस्तुत करना नहीं चाहा। जिससे पत्रावली में रमेश व मणी का जवाब बंद कर पुर्व आदेशनुसार पत्रावली को वास्ते साक्ष्य रखी गई।

वादीगण ने अपने समर्थन में निम्नलिखित मौखिक, लिखित दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए।

1 पीडब्लयु–1– श्री श्यामा पिता धुला डामोर उम्र 50 वर्ष निवासी लालपुरा डूंका तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

2 पीडब्लयु–2– श्री लाला उर्फ लालसिंह पिता पुंजा डामोर उम्र 50 वर्ष निवासी डूंका लालपुरा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

क्रमशः पेज 4 पर

1 प्रदर्श– 1 सम्वत 2002–2011 की जमाबंदी नकल

2 प्रदर्श– 2 फर्द तुलनात्मक संवत 2014

3 प्रदर्श –3 सेटलमेन्ट 2019 की प्रमाणित नकल

4 प्रदर्श –4 सम्वत 2063 की जमाबंदी नकल

5 प्रदर्श –5 पर्चा मौका दिनांक 24.12.2015

उक्त बयानो मे बताया की वादीगण के कब्जे काश्त की विरासती आराजी आराजी ग्राम डुंका मे खसरा नम्बर क्रमशः 2913 व 2914 रकबा क्रमशः 3.05 व 2.08 खेत किता 02 कुल रकबा 5.13 बिघा होकर स्थित है। जिस पर वादीगण पारीवारीक बंटवारे के अनुसार काबीज है तथा उक्त आराजी पर वादी लाला व मंगला के मकानात बने हुये है उक्त ग्राम डुंका की आराजी सख्या 2913 व 2914 संवत 2002–11 की जमाबन्दी मे खसरा सख्या 2579, 2580 व 2581 होकर वादीगण के पुर्वज कदीम कलजी मुखी के नाम दर्ज थी संवत 2014 मे खसरा नम्बर परिवर्तित हुये जिससे संवत 2002–11 की जमाबन्दी मे वादीगण के पुर्वज कदीम कलजी मुखी के नाम दर्ज खसरा सख्या 2579, 2580 व 2581 के नये नम्बर 2913 व 2914 कायम हुए उक्त आराजी मे वादीगण जनवरी 2010 मे फसल की गुडाई कर रहे थे प्रतिवादीगण ने मौके पर विवाद कर उक्त आराजी अपनी होने की बात की तो वादीगण ने अपने कब्जे काश्त की उक्त आराजी के खाते की नकले निकलवायी तो जानकारी हुई की वाद ग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है जिस पर वादीगण ने अपने कब्जे काश्त की उक्त भुमी की पुरानी नकले निकलवायी तो पता चला संवत 2002–2011 मे वादीगण के पुर्वज व मुखी कलजी के नाम दर्ज खसरा सख्या 2579, 2580 व 2581 के नये नम्बर 2913 व 2914 सेटलमेंट कर्मियो ने भुलवंश वादीगण के पिता पुंजा के नाम दर्ज नही कर प्रतिवादीगण के पुर्वज नाना के नाम दर्ज कर दी जबकि नियमानुसार वादग्रस्त आराजी को वादीगण के पिता पुंजा के नाम दर्ज करना था जिस पर वादीगण ने पटवारी से मिलकर वादग्रस्त आराजी वादीगण के नाम दर्ज करने को कहा लेकिन पटवारी ने मना कर दिया जिससे वादीगण को वाद प्रस्तूत करना आवश्यक हो गया जिससे म्याद अवधि मे वाद प्रस्तुत है ऐसे मे ग्राम डुंका की जमाबन्दी संवत 2063–66 के खाता सख्या 476 आराजी सख्या 2913 व 2914 को प्रतिवादीगण के खाते मे से हटाया जाकर वादीगण के नाम दर्ज कर वादीगण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे व प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे की वे वादीगण को उक्त आराजी मे काश्त करने मे रुकावट पैदा न तो स्वंय करे न ही मित्र, एजेन्ट व मजदुरो से करावे ।
साक्ष्य प्रतिवादीगण हेतु प्रतिवादीगण को करीब दो साल तक कई अवसर दिये गये लेकिन वकील प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नही की तथा दिनांक 04.02.2021 को वकील प्रतिवादीगण ने साक्ष्य प्रतिवादी पेश नही कर हिदायत पैरवी नही करना जाहीर किया जिससे साक्ष्य प्रतिवादी बन्द कर पत्रावली एकपक्षीय बहस हेतु रखी गई ।
विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी।

क्रमशः पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

वादीगण के अधिवक्ता ने लिखित बहस पेशकर बताया कि वादीगण के कब्जे काश्त की विरासती आराजी आराजी ग्राम डुंका मे खसरा नम्बर कमशः 2913 व 2914 रकबा कमशः 3.05 व 2.08 खेत किता 02 कुल रकबा 5.13 बिधा होकर स्थित है। जिस पर वादीगण पारीवारीक बंटवारे के अनुसार काबीज है ये बात पर्चा मोका प्रदर्श 5 से साबीत होता है तथा उक्त आराजी पर वादी लाला व मंगला के मकानात बने हुये है उक्त ग्राम डुंका की आराजी सख्या 2913 व 2914 संवत 2002–11 की जमाबन्दी मे खसरा सख्या 2579, 2580 व 2581 होकर वादीगण के पुर्वज कदीम कलजी मुखी के नाम दर्ज थी जो प्रदर्श 1 से साबित होता है तथा संवत 2014 मे खसरा नम्बर परिवर्तित हुये जिससे संवत 2002–11 की जमाबन्दी मे वादीगण के पुर्वज कदीम कलजी मुखी के नाम दर्ज खसरा सख्या 2579, 2580 व 2581 के नये नम्बर 2913 व 2914 कायम हुए जो प्रदर्श 3 से साबित होता है उक्त आराजी मे वादीगण जनवरी 2010 मे फसल की गुडाई कर रहे थे प्रतिवादीगण ने मौके पर विवाद कर उक्त आराजी अपनी होने की बात की तो वादीगण ने अपने कब्जे काश्त की उक्त आराजी के खाते की नकले निकलवायी तो जानकारी हुई की वाद ग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है जिस पर वादीगण ने अपने कब्जे काश्त की उक्त भुमी की पुरानी नकले निकलवायी तो पता चला कि संवत 2002–2011 मे वादीगण के पुर्वज व मुखी कलजी के नाम दर्ज खसरा सख्या 2579, 2580 व 2581 के नये नम्बर 2913 व 2914 सेटलमेंट कर्मियो ने भुलवंश वादीगण के दादा पुंजा के नाम दर्ज नही कर प्रतिवादीगण के पुर्वज नाना के नाम दर्ज कर दी जबकि नियमानुसार वादग्रस्त आराजी को वादीगण के पिता पुंजा के नाम दर्ज करना था जिस पर वादीगण ने पटवारी से मिलकर वादग्रस्त आराजी वादीगण के नाम दर्ज करने को कहा लेकिन पटवारी ने मना कर दिया जिससे वादीगण को वाद प्रस्तूत करना आवश्यक हो गया जिससे म्याद अवधि मे वाद प्रस्तुत है ऐसे मे ग्राम डुंका की जमाबन्दी संवत 2063–66 के खाता सख्या 476 आराजी सख्या 2913 व 2914 को प्रतिवादीगण के खाते मे से हटाया जाकर वादीगण के नाम दर्ज कर वादीगण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे व प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे की वे वादीगण को उक्त आराजी मे काश्त करने मे रुकावट पैदा न तो स्वंय करे न ही मित्र, एजेन्ट व मजदुरो से करावे।

हमने विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय लिखित बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वाद में विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस से जाहिर होता है कि वाद में तनकी वार निर्णय नहीं कर सीधा निर्णय करना उचित समझता हुं।

वादग्रस्त आराजी वादीगण के कब्जे काश्त की विरासती आराजी है जो पुर्व मे वादीगण के पुर्वज व मुखी कलजी के नाम संवत 2002–11 मे खसरा सख्या 2579, 2580 व 2581 होकर दर्ज थी उक्त नम्बर संवत 2014 मे परिवर्तित हुए तथा नये नम्बर 2913 व 2914 कायम हुये।

13/12/2021
उपखण्ड अधिकारी

कमशः पेज 6 पर

नियमानुसार सेटलमेंट कर्मियो को वादीगण के पुर्वज व मुखी कलजी के नाम दर्ज आराजी को सेटलमेंट 2019 मे वादीगण के पिता पुंजा के नाम दर्ज करना था लेकिन सेटलमेंट कर्मियो ने भुलवंश प्रतिवादीगण के दादा नाना के नाम दर्ज कर दी थी जिससे वादग्रस्त आराजी वर्तमान मे प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रेकोर्ड है जो कानुनी रुप से गलत है, वर्तमान मे वादग्रस्त आराजी पर कब्जा भी वादीगण का है ये भी वादीगण की साक्ष्य व दस्तावेज प्रदर्श–5 से प्रमाणित हैं। तथा वादग्रस्त आराजी वादीगण की विरासती आराजी है ये भी प्रदर्श–1 व 2 से प्रमाणित है ऐसे मे वादीगण वादग्रस्त आराजी उनकी विरासती आराजी होने व मौके पर सेटलमेंट के समय से वादीगण का कब्जा होने का अपने साक्ष्य व दस्तावेजो से साबित करने मे सफल रहे है जबकि प्रतिवादीगण ने अपने जवाब के समर्थन मे काई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किया है ऐसे मे वादीगण का वाद स्वीकार कर ग्राम डुंका की जमाबन्दी संवत 2063–66 के खाता सख्या 476 आराजी सख्या 2913 व 2914 को वादीगण के नाम दर्ज करना व प्रतिवादीगण का नाम हाल जमाबन्दी से हटाया जाना उचित समझता हुं तथा प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किया जाना भी उचित समझता हुं कि कि प्रतिवादीगण ग्राम डुंका की जमाबन्दी संवत 2063–66 के खाता सख्या 476 आराजी सख्या 2913 व 2914 मे वादीगण को काश्त करने मे रुकावट पैदा न करे।

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम डुंका की जमाबन्दी संवत 2063–66 के खाता सख्या 476 आराजी कमशः 2913 व 2914 रकबा कमशः 3.05 व 2.08 खेत किता 02 कुल रकबा 5.13 बिधा मे दर्ज प्रतिवादीगण के नाम हटाया जाकर वादीगण के नाम दर्ज कर वादीगण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किया जाता हैकि वे ग्राम डुंका की आराजी सख्या 2913 व 2914 मे वादीगण को काश्त करने मे रुकावट पैदा न तो स्वंय करे न ही मित्र ,एजेन्ट मजदुरो से करावे। डिकी पर्चा मुर्तिब किया जावे।

अनिल कुमार जैन 11/2/2021
उपखण्ड अधिकारी
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा
सीमलवाड़ा

आदेश आज दिनांक 11.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिल कुमार जैन 11/2/2021
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा
सीमलवाड़ा

डिकी व मुकदमें की इब्तदाई

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसीजरकोड, एपेन्डियस डी–1)

अज अदालत उपखंड अधिकारी सीमलवाडा मुकाम धम्बोला

इजलास श्री उपखंड अधिकारी अनिल कुमार जैन सीमलवाडा

श्री सोमा बनाम श्री लाला वगैरह

बाबत:–स्थायी निषेधाज्ञा 88, 188 व 209 राज.टी. एक्ट, धारा 136 भु राजस्व अधिनियम एवं पठित धारा 151 जा.दी

मुकदमानम्बर:–09 / 2010 ई. दी

यह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू :–श्री अनिल कुमार जैन

व हाजरी:–श्री बालगोविन्द पाटीदार मिनजानिब मुदई अल्लाहनुर मंसुरी व मिनजानिब मुदायलाह उपस्थिति होकर हुक्म दिया जाता है डिकी दी जाती है कि:–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम डुंका की जमाबन्दी संवत 2063–66 के खाता सख्या 476 आराजी कमशः 2913 व 2914 रकबा कमशः 3.05 व 2.08 खेत किता 02 कुल रकबा 5.13 बिधा मे दर्ज प्रतिवादीगण के नाम हटाया जाकर वादीगण के नाम दर्ज कर वादीगण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किया जाता हैकि वे ग्राम डुंका की आराजी सख्या 2913 व 2914 मे वादीगण को काश्त करने मे रुकावट पैदा न तो स्वंय करे न ही मित्र ,एजेन्ट मजदुरो से करावे।

रे दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 11.02.2021 को जारी की गई।

दस्तखत. उपखण्ड अधिकारी 11/2/2021
ओहदा . . . सीमलवाड़ा . . . .

मुदई	रूपया / पैसा	मुदायलाह	रूपया / पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प व जेह सबुत म्हेनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी म्हेनतनामा वकील खर्चा गवाहान फिस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
थमजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी 11/2/2021
सीमलवाड़ा